न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/61

1. प्रहलाद पुत्र केसरा जाति सेन निवासी किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. कालूलाल पुत्र जीवनलाल मृतक जरिये कायम मुकाम प्रहलाद पुत्र केसरा जाति सेन निवासी किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

——अपीलान्टगण

बनाम

1. कालूराम उर्फ कालूलाल उर्फ कल्याणचंद आत्मज धूली लाल मृतक जरिये कायम मुकाम–
   1/1 उमाशंकर आत्मज कल्याणचंद जाति नाई निवासी गणेश गली वार्ड नं0 श्योपुर म.प्र.
   1/2 पुरूषोत्तम आत्मज कल्याणचंद जाति नाई निवासी गणेश गली वार्ड नं0 श्योपुर म0प्र0
   1/3 द्रोपदी बाई बेवा कल्याणचंद
   1/4 गिर्राज पुत्र कल्याणचंद
   1/5 हरिशंकर पुत्र कल्याणचंद
   1/6 महेश पुत्र कल्याणचंद
   1/7 कमलेश पुत्री कल्याणचंद
   1/8 राधा पुत्री कल्याणचंद
   1/9 मीना पुत्री कल्याणचंद
   1/10 सरोज पुत्री कल्याणचंद जाति नाई निवासी गणेश गली श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा
3. उप पंजीयक अधिकारी कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री सूरज सिंह यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, रेस्पो. 1/1 लगायत 1/10 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 09.04.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 72/2016 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन

किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 146 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके माल मौजा किशनपुरा तहसील पीपल्दा में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजों से प्राप्त होकर पैतृक आराजी है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने निहित हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी अपने निहित 1/2 हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन बाबत कई बार निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा लगातार टालमटोल करते रहे। दिनांक 20.11.2016 को जब वादी ने विभाजन बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन करने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के 1/2 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के 1/2 हिस्से का विभाजन कर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी किस्म का विभाजन किया जाकर पृथक से खाता कायम किए जाने तथा विभाजन अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.02.2020 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 को खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील का ज्ञान सर्व प्रथम दिनांक 14.02.2024 को पटवार हल्का के बताने पर हुआ जिस पर दिनांक 14.02.2024 को नकल हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करने और दिनांक 18.03.2024 को नलक मिलने पर तथा दिनांक 19.03.2024 को कोटा वकील साहब से सम्पर्क कर अपील तैयार कर अपील अविलम्ब पेश की है। दिनांक 19.02.2020 से दिनांक 14.02.2024 तक निर्णय व डिक्री अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय एवं संचिका से प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपीलान्ट को सुनवाई अवसर दिये बगैर निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नही किया कि दिनांक 13.12.16 को वाद पेश किया है, जिस पर दिनांक 26.12.16 को रिपोर्ट पेश होकर दिनांक 03.01.17 को वाद दर्ज किया जाकर तलबी में 17.02.17 पेशी नियत की गई, तथा दिनांक 17.02.17 को बिना नोटिस तामिल की सूचना दर्ज किये, प्रतिवादी कम–1 की और से बी एल एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया है। जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है, और न अपीलान्ट को वाद की सूचना प्राप्त हुई है। दिनांक 26.10.17 को वादी की ओर से एस टी एच आब्दी एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया है, जिस पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है। अपीलान्ट कालूलाल का देहान्त 14.05.70 को हो चुका है। दिनांक 16.11.17 को प्रतिवादी कम 1 का जवाब बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई तथा दिनांक 13.12.17 को रेस्पो० कम–1 ने अपने आप को कालूराम उर्फ कालूलाल की पहचान बताते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया और वादी का वाद दिनांक 04.01.18 को पी डी 1/2 हिस्से की मान कर जारी कर दी गई है। अपीलान्ट का 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पो० कम–1 ने अपने आप को कालू पुत्र जीवन की पहचान बता कर बोगस वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में गम्भीर न्यायिक त्रुटी की है कि दिनांक 04.01.18 को पी डी जारी करके उसी दिन बिना फाईनल डिकी का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना विभाजन प्रस्ताव मागने के आदेश पारित किये जो गैर कानूनी होने से आदेश दिनांक 04.01.18 खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 06.02.18 से 29.07.19 तक विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार पेशी नियत की जाती रही है। दिनांक 29.07.19 को पत्रावली न्यायालय के समक्ष पेशी पर नहीं ली गई और दिनांक 18.12.19 को पत्रावली विलम्ब से पेश होने नोट अंकित कर तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 09.01.20 को बहस सुन कर दिनांक 19.02.20 को फाईनल डिकी पारित कर दी गई जो अवैद्य एवं गैर कानूनी है। इस कारण निर्णय एवं डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस तामिल कराये बिना और सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने अवसर दिये बिना फर्जी तरीके से रेस्पो० कम–1 द्वारा प्रस्तुत बोगस वाद डिकी करने में तथ्यात्मक एवं विधि संबंधी त्रुटी की है, इस कारण

निर्णय एवं डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० कम–1 को वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट के शामलाती खाते की भूमि ख० नं0 146 की 0.56 है0, 148 की 0.95 है० तथा 151 की 0.13 है० कुल 3 किता रकबा 1.64 है० भूमि वाके किशनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा पर अपीलान्ट शान्ति पूर्ण काबिज कास्त है, जिसका वर्तमान समय फसल बो रखी है, और अपीलान्ट ही काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रहलाद के काका का लडका कालूलाल है, कालूलाल का देहान्त 14.05.70 को हो चुका है। जिसका कोई वारिस नहीं है। अपीलान्ट प्रहलाद ही मृतक कालूलाल का वारिस है और कालूलाल के हिस्से की भूमि का मालिक है। रेस्पो० कम–1 ने अपने आप को कालू पुत्र जीवन की फर्जी पहचान बता कर झूठा वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पो० कम–1 जिसका वास्तविक नाम कल्याण चंद आ० धूलीलाल नाई निवासी गणेश गली वार्ड 9 श्योपुर म० प्र० का रहने वाला है, जिसका कालू पुत्र जीवन से कोई सबंध नहीं है। कल्याण चंद पुत्र घूलीलाल का भी देहान्त 2022 हो चुका है। इस प्रकार रेस्पो० कम–1 ने फर्जी तरीके से बोगस वाद प्रस्तुत कर डिकी करा लिया है, जो निणर्य एवं डिकी खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अपीलान्ट की ओर से फर्जी हस्ताक्षर कर बी एल एडवाकेट ने फर्जी वकालत नामा पेश किया है। जिसके आधार पर पारित निर्णय एवं डिकी खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव राजस्व पंत्र कमांक 694 दिनांक 17.12.19 को बिना अपीलान्ट हस्ताक्षर एवं सममति के प्रस्तुत किया है. विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रश्त ही पैदा नहीं होता है। भूमि तन्हा अपीलान्ट प्रहलाद के कब्जे एवं खातेदारी की है। राजस्व अधिकारी से मिली भगत कर तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.02.2020 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांटगण के अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.11.2017 में अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा भी प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तामील हो चुकी थी अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2020 को पारित निर्णय व डिकी की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी थी, इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर अंतिम निर्णय व डिकी के विरूद्ध नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अपील विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार निर्णय व डिकी दिनांक 19.02.2020 पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना में राजस्व रिकॉर्ड एवं

मोके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मोके पर कब्जे एवं राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादग्रस्त आराजी के विभाजन की निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की अनुपस्थिति में ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पारित किया गया है। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 146, 148 व 151 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर के सम्बंध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तामील नहीं हुई, अपीलांट का जवाब नहीं लिया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2017 में प्रश्नगत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किए जाने

का आदेश अंकित हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन नोटिस जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं है। आदेशिका दिनांक 17.02.2017 में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर वकालतनामा पेश होने का अंकन है परन्तु अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वकालतनामें पर जो हस्ताक्षर अंकित है वह अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2017 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण नियत की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 16.11.2017 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं होना बताकर प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द करने का आदेश अंकित करते हुए पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई तथा आगामी पेशी 13.12.2017 नियत की गई। दिनांक 13.12. 2017 को वादी की ओर से कालूराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अंकित करते हुए पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 04.01.2018 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलांट की साक्ष्य नहीं ली गई। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2018 पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी नहीं किए गए। विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचन–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान अपीलांटगण मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किए गए हस्ताक्षर की दिनांक भिन्न–भिन्न है अतः हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना तत्पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार नहीं किया गया है अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने अवसर

प्रदान किए बिना ही वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पारित की गई है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 72/2016 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2018 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2020 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करें तथा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रश्नगत भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 23.05.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा